

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 145/2023
(जीसीएमएस संख्या 2023/362)

निर्णय दिनांक:- 11-07-2025

1. रामकुमार पुत्र हेतराम जाति विश्नोई साकिन चक 4 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र हेतराम जाति विश्नोई साकिन चक 4 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

-अपीलांट्स

-बनाम-

1. सुमित्रा देवी पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन शोभाका बास, मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनु।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।


रेस्पोंडेन्ट



अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 21-04-2023
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थिति:-


1. श्री पुरुषोत्तम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री जयवीर सिंह, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द घतरवाल, राजकीय अभिभाषक


राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

-निर्णय-

1. अपीलांट्स ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 21-04-2023 जिसके द्वारा वादगत भूमि को बतौर स्माल पेच में आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 4 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 55/48 के किला नम्बर 1, 2, 10, 22 ता 25 तादादी 1.7703 हैक्टेयर भूमि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को बतौर स्माल पेच आवंटन की गई है। वादगत भूमि जिस मुरब्बे में स्थित है उसी मुरब्बे की शेष भूमि लक्ष्मणसिंह पुत्र छतरसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकोर्ड थी एवं अपीलांट्स ने उक्त भूमि लक्ष्मणसिंह के फौत होने के पश्चात उसके वारिसों से दिनांक 06-02-1991 को उनकी भूमि की समस्त राशि अदा करते हुए लिखित करार निष्पादित करवा लिया जिसके पश्चात से लक्ष्मण सिंह की भूमि पर अपीलांट्स ही काबिज काश्त है। लक्ष्मण सिंह के वारिसों द्वारा उक्त भूमि का बैयनामा अपीलांट्स के पक्ष में नहीं करवाये जाने से अपीलांट्स द्वारा स्पेसिक परफॉर्मेंस का सिविल वाद सिविल न्यायालय खाजूवाला में प्रस्तुत किया गया है जो आदिनांक तक विचाराधीन है। अपीलांट्स वादगत भूमि के समीपस्थ भूमि पर काबिज काश्त होने से स्मालपेच आवंटन नियमों के तहत प्रथम वरीयता अपीलांट्स की बनती थी मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुंचाने की नियत से वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट की ढाणी वादगत भूमि के किला नम्बर 10 में स्थित है जिस बाबत तहसीलदार द्वारा धारा 22 के नोटिस भी अपीलांट को जारी हुए है जिससे यह साबित है कि


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर




वादगत भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में चिपते काश्तकारों को नोटिस देने हेतु दिनांक 04-04-2023 को आदेश पारित किया जिसकी पालना में दिनांक 15-04-2023 को नोटिस भेजे गये एवं दिनांक 21-04-2023 को ही आवंटन का चालान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी कर दिया गया। रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के पश्चात किसी की आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय को कम से कम एक माह का इंतजार करना था उसके पश्चात भी यदि किसी पक्षकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होती तो एकतरफा कार्यवाही की जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए विधिविरुद्ध आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमया जावे।

अभिभाषक अपीलांत ने मियांद पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर जारी किया गया है जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय ना तो अपीलांत को पक्षकार बनाया गया तथा ना ही सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया गया। ऐसे में जैसे ही अपीलांत को अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी हुई, प्रथम जानकारी से अपीलांत द्वारा बिना विलम्ब किये अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपीलांत का मियांद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।



4.

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अपीलांत के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलांत को अपील प्रस्तुत किये जाने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है क्योंकि अपीलांत की वादगत भूमि के समीप ही नहीं सम्पूर्ण चक में कहीं भी खातेदारी भूमि स्थित नहीं है। वादगत भूमि के समीप लक्ष्मणसिंह की भूमि है जो कि वर्ष 1984 में ही फौत हो चुके है। अपीलांत द्वारा येन-केन प्रकारेण रेस्पोंडेन्ट को तंग परेशान करने की नियत से एक फर्जी इकरारनामा लक्ष्मणसिंह के एक पुत्र द्वारा निष्पादित करवाया गया है जोकि पंजीबद्ध दस्तावेज नहीं है। उक्त इकरारनामा शून्य है क्योंकि



राजस्थान अपील अदालत,
बीकानेर

लक्ष्मणसिंह के कुल 17 वारिस है तथा अपीलांट द्वारा केवल मात्र एक वारिस से इकरारनामा निष्पादित करवाया गया है। जहां तक अपीलांट का यह कथन है कि वादगत भूमि के किला नम्बर 10 में अपीलांट की ढाणी है यह कथन पूर्णत मिथ्या है। तहसीलदार द्वारा धारा 22 का नोटिस खातेदार लक्ष्मणसिंह को वर्ष 2000 में प्रदान किया गया है उसके पश्चात का किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया है। अपीलांट ने अपने कथनों में यह भी कथन किया कि नोटिस जारी होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक माह तक इंतजार नहीं किया गया, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये गये थे जिनकी डिलिवरी रिपोर्ट भी पत्रावली में सलंगन है। जब पक्षकारों को नोटिस प्राप्त हो चुके थे तथा पक्षकारों द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में चालान जारी कर दिया गया जो विधिसम्मत है।



आगे रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा दिनांक 14-02-2023 को वादगत भूमि के रमालपेच आवंटन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार तहसील कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में वादगत भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद, कोई रथगन नहीं होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त चिपते काश्तकारों को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करते हुए भूमि का आवंटन किया गया है। जिसकी पालना में रेस्पोंडेंट द्वारा आवंटित भूमि की समस्त राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने मियांद पर कथन किया कि अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण मियांद प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये हैं वो संतोषजनक कारण नहीं हैं। मियांद अधिनियम के प्रार्थना


राजस्थान अपील अदालत
बीकानेर


पत्र में अपीलांट को प्रत्येक दिन के विलम्ब का संतोषजनक कारण अंकित करना होगा। अतः अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने के आधार पर मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम मियांद प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना है। अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा आदेश होने से मियांद अधिनियम बाधक नहीं है इसके विपरीत रेस्पोंडेन्ट का कथन है कि अपील मियांद बाहर पेश होने से अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज की जावे। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21-04-2023 का है तथा अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 20-07-2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करने हेतु मियांद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके काउण्टर में रेस्पोंडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधि का भी सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कृत है। उक्त विधि के सिद्धान्त तथा अपीलांट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरगुजर किया जाकर अपील अपीलांट अंदर मियांद शुमार की जाती है।



प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि चक 4 पीआरएम के मुख्या नम्बर 55/48 के किला नम्बर 1, 2, 10, 22 ता 25 की तादादी 1.7703 हैक्टेयर भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 14 के अनुसार **"Notwithstanding in anything to the contrary contained in these rules, small patch of Government land may be allotted, to a tenure tenant whose tenure land adjoins such patch, subject to the**



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ceiling area at the index price for land of a similar soil class in the neighbourhood.

Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of small patch, the Allotting Authority shall make arrangement for making allotment of such small patch to the tenure tenant of the same chak or of the adjoining chak."

उक्त प्रावधान में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि स्मालपेच आवंटन चिपते खातेदार काश्तकार को किया जा सकता है। अपीलांट यह साबित करने में विफल रहे है कि वरवक्त आवंटन वो वादगत भूमि के समीपस्थ खातेदार काश्तकार थे। वादगत भूमि के समीप लक्ष्मणसिंह की खातेदारी भूमि स्थित है तथा अपीलांट का यह कथन है कि वादगत भूमि के चिपती भूमि का इकरारनामा अपीलांट ने करवा रखा है इस संबंध में हमारा अभिमत यह है कि स्मालपेच में भूमि आवंटन हेतु टेन्योर टिनेन्ट होना आवश्यक है। केवल ईकरारनामा के आधार पर अपीलांट को टेन्योर टिनेन्ट नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभिकथित ईकरारनामा पंजीबद्ध दस्तावेज नहीं है एवं ना ही समस्त धारिसान द्वारा हस्ताक्षरित है। ईकरारनामा की वैधता का विनिश्चय इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। यहा केवल यह देखा जाना है कि वरवक्त आवंटन अपीलांट प्रश्नगत आराजी का टेन्योर टिनेन्ट था अथवा नहीं? पत्रावली के अवलोकन से यह साबित है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा किये गये अवंटन के वक्त अपीलांट टेन्योर टिनेन्ट नहीं थे। अतः अपीलांट को अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पर निश्चित प्रारूप में रिपोर्ट प्राप्त करते हुए वादगत भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज होने तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अकेले का आवेदन होने के आधार पर वादगत भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।





राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलाट् की अपील खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06-12-2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11-07-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।




(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
वीकानेर